गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

(I.S.O. 9001: 2015 एवं I.S.O. 14001: 2015 प्रमाणित संस्था)

विकास पथ, गाजियाबाद

''सार्वजनिक सूचना''

एतद् द्वारा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै0 राधा गोविन्द ट्रेडलिंक्स प्रा0 लि0 द्वारा खसरा संख्या– 1210, 1211 व 1212 क्षेत्रफल 4110.00 वर्ग मी0 ग्राम नूरनगर, गाजियाबाद की आवासीय भूमि पर होटल हेतु मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 के अनुसार खसरा संख्या– 1210, 1211 व 1212 ग्राम नूरनगर से जोनल रोड एवं जोनल पार्क की भूमि छोड़ने के उपरान्त शेष भाग आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत प्रदर्शित है। गाजियाबाद जोनल डेवलपमेन्ट प्लान–2021 जोन–1 में निहित जोनिंग रेगुलेशन के प्राविधानों के अनुसार आवासीय भू–उपयोग में होटल क्रिया सशर्त अनुमन्य है। जिसके अनुसार स्थल न्यूनतम 24.00 मी0 चौडें रोड पर विद्यमान होना अनिवार्य है सन्दर्भित स्थल 30 मी0 चौडें मार्ग पर विद्यमान है। ऐसी क्रिया की अनुमति से पूर्व जन–सामान्य से एक माह हेतु आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने का प्राविधान जोनिंग रेगुलेशन में निहित है। उक्त के दृष्टिगत प्रस्तुत मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व जन–सामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं यदि कोई व्यक्ति/संस्था उक्त के सम्बन्ध में अपनी कोई आपत्ति/सुझाव देना चाहे तो उक्त सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन के अन्दर अपनी आपत्ति/सुझाव कार्यालय, मुख्य वास्तुविद एवं नगर नियोजक, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत कर सकता है। उक्त समयावधि के उपरान्त के प्राप्त होने वाले किसी भी आपत्ति/सुझाव पर विचार नहीं किया जा सकेगा।

उपाध्यक्ष

ई–मेलः helplinegda@gmail.com, f : @gdagzb, t : @gdagzb

हैल्पलाईनः 0120-3342433, व्हाट्सएप नं.: 9818988807, वेबसाईटः wwww.gdaghaziabad.com

एक सुन्दर शहर ..... हमारा संकल्प